आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजाराम अदि बनाम इन्द्रा देवी व अन्य

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 63 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
19.06.19	वकील अपीलांट्स द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के अन्तरिम आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध पेश की है। उक्त अन्तरिम आदेश में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने यह अंकित किया है कि खसरा नं. 353 का सीमाज्ञान नहीं होने तक व माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश प्रभावी होने से डिक्री इजराय की पालना संभव नहीं है। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 11.03.2019 को पेश। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने अपने अपील मीमों में जो आपत्तियां अंकित की है वे अधी. न्यायालय में भी उठायी गई थी। किन्तु अधी. न्यायालय ने इन आपत्तियों को नहीं सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया, अपील मीमों, अधी. न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य कागजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/रेस्पों. इन्द्रा देवी ने मौजूदा डिक्री इजराय के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत अनवान इन्द्रादेवी बनाम जानी देवी व अन्य के विरूद्ध दिनांक 17.04.03 को प्रस्तुत किया। अधी. न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय दिनांक 17.04.04 को पारित कर वाद निरस्त कर दिया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/रेस्पों. इन्द्रादेवी द्वारा इस न्यायालय में अपील सं. 61/08 प्रस्तुत की। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 05.06.2009 को निर्णय पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय ने वाद सं. 93/09 इन्द्रादेवी बनाम जानी देवी व अन्य में दिनांक 28.04.2010 को वाद डिक्री कर दिया।

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण सूरजपाल आदि ने इस न्यायालय में अपील सं. 28/2010 अनवान सूरजपाल अन्य बनाम इन्द्रादेवी अन्य पेश की। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में 16.08.2011 को निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज कर दी।

अपीलांट ने इस न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील सं. 7225/2011 पेश की। माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 07.07.2013 को निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ और इस न्यायालय के निर्णयों का यथावत रखा।

सूरजपाल आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल पिटीशन सं. 12698/13 प्रस्तुत की। उक्त पिटीशन भी दिनांक 06.03.2004 को निरस्त कर दी गई।

इन्द्रादेवी द्वारा एस.सी सिविल रिट संख्या 4794/2018 इन्द्रादेवी बनाम उपखण्ड अधिकारी व अन्य को पक्षकार बनाते हुए दायर की गई कि दिनांक 28.04.2010 को पारित डिकी की पालना नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.08.2018 को आदेश पारित किया कि जितना संभव हो सके तीन माह में डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे।

अधी. न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2019 में अंकित किया है कि समस्त पत्रावली को पढने व मनन करने के बाद एक ही बिन्दु सामने आता है कि प्रार्थीया/वादीया इन्द्रादेवी के पक्ष में रोही सूरतगढ के खसरा नं. 353 के 5.00 बीघा रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 4 ता 15 को अतिक्रमी घोषित कर उन्हें बेदखल करने की डिक्री जारी की गई है। अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण कथन है कि वो खसरा नं. 352 में अपने घर बना कर रहे हैं व प्रार्थीया/वादीया इन्द्रादेवी इस डिक्री की आड में पक्की सडक पर आने के लिये उन्हें खसरा नं. 352 से बेदखल करना चाहती है। खसरा नं. 353 के सीमा ज्ञान करवाने बाबत 6 सदस्यों की टीम मौका पर गई तो प्रार्थीया/वादीया स्वयं ने ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.02.2016 से खसरा नं. 353 के सीमाज्ञान करवाने के विरूद्ध मा. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रस्तुत कर दिया। इसलिए खसरा नं. 353 की बिना नपाई करवाये डिक्री की पालना करवायी जानी संभव नहीं होने से मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना नहीं हो सकी। इसके अलावा अधी. न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि खसरा नं. 353 का सीमाज्ञान नहीं होने तक मा. राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश प्रभावी होने से डिक्री इजराय की पालना संभव नहीं है एवं पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 11.03.2019 नियत की गई।

प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य रोचक व विशिष्ठ है कि स्वयं डिक्रीधारक ने डिक्री की पालनार्थ उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त किये है व साथ ही उक्त डिक्री की पालना के विरूद्ध स्थगन भी ले रखा है। इसके अलावा जब उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में इजराय प्रा.पत्र व मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में इजराय प्रक्रिया विचाराधीन है तो नये आक्षेप व तथ्य प्रस्तुत कर इजराय प्रक्रिया को लम्बित करने का प्रयास स्पष्ट रूप से दर्शित है। यह नितांत विरोधाभाषपूर्ण व अतार्किक प्रतीत होता है।

यह स्पष्ट है कि डिक्री की पालना के दौरान मूल वाद में उठाए गये तथ्यों व बिन्दुओं से इतर प्रश्न व बिन्दु नहीं उठाए जा सकते, न ही अकारण स्वयं के कृत्य से डिक्री की इजराय में अवरोध अकारण प्रस्तुत करने से प्रार्थी को परहेज करना चाहियें अन्यथा डिक्रीधारक को स्वयं को कानूनी प्रावधानों के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

परिणाम भुगतने हो सकते हैं।

चुंकि मामले में स्वयं अधी. इजराय न्यायालय तत्पर है व प्रकिया जैरकार है तथा उन्होंने अपने आदेशों में विस्तृत रूप से मामले को स्पष्ट करते हुए अन्तवर्ती आदेश पारित करते हुए स्वयं प्रार्थीगणों व पक्षकारों को मूल डिक्री की पालना में विद्यमान मा. राजस्व मण्डल के स्थगन की बाधा का हवाला दिया है जिसके लिये स्वयं डिक्रीधारक उक्त आदेश की इजराय बाबत आदेश के रूप में अपील इस न्यायालय में करने को स्पष्ट नहीं कर सके हैं, न ही अधी. न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर पाये हैं कि जैरकार इजराय में स्थगन के क्या प्रभाव है। साथ ही पूरे मामले में डिक्रीधारक मूल वाद में अन्तर्वलित बिन्दुओं से इतर नये तथ्य उठाने व इजराय में स्वयं के कृत्य से अवरोध पैदा करने के परिणामों से बचना चाहियें। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश विस्तृत व स्पष्ट तथा Interlocutory है। ऐसी दशा में उक्त आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं प्रतीत होता।

इस प्रकार अधी. न्यायालय के निर्णय में अंकित उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 353 के सम्बन्ध में मा. राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश प्रभावी है तथा प्रकरण अधी. न्यायालय में भी विचाराधीन है। अधी. न्यायालय में प्रकरण के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही क्या हुई इस सम्बन्ध में भी वकील अपीलांट्स ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी का यह इन्टरलोकेटरी आदेश है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइस नहीं है। अपीलांट्स इजराय से सम्बन्धी अपना पक्ष अधी. न्यायालय में रख सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़